रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032023-244726 CG-DL-E-28032023-244726

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185] No. 185] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 2023/चैत्र 7, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 2023/CHAITRA 7, 1945

### वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

# अधिसूचना

नई दिल्ली. 28 मार्च. 2023

#### आय-कर

सा.का.नि. 227(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139कक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 2023 है।
  - (2) ये 1 अप्रैल, 2023 को प्रवृत्त होंगे।
- 2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 114ककक के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"114ककक. स्थायी लेखा संख्यांक अप्रचालनीय करने की रीति,-(1) जहां कोई व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 तक स्थायी लेखा संख्यांक आवंटित किया गया है तथा उससे धारा 139कक की उपधारा (2) के अधीन उसका आधार संख्यांक सूचित करना अपेक्षित है, 31 मार्च, 2022 को या उसके पूर्व उसे सूचित करने में असफल रहा है, ऐसे व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक अप्रचालनीय हो जाएगा, तथा वह नियम 114 के उपनियम (5क) के अनुसार फीस के संदाय का दायी होगा।

2029 GI/2023 (1)

- (2) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति ने धारा 139कक की उपधारा (2) के अधीन 31 मार्च, 2022 के पश्चात् उसका आधार संख्यांक नियम 114 के उपनियम (5क) के अनुसार फीस के संदाय के पश्चात् सूचित किया है, उसका स्थायी लेखा संख्यांक आधार संख्या सूचित करने की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रचालनीय हो जाएगा।
- (3) कोई व्यक्ति जिसका स्थायी लेखा संख्यांक अप्रचालनीय हो गया है, उपनियम (4) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट तारीख से आरंभ होने वाली अविध से इसके प्रचालनीय होने की तारीख तक के लिए अतिरिक्त परिणामों का दायी होगा, अर्थात:-
- (i) अधिनियम के उपबंधों के अधीन शोध्य कर की किसी रकम या उसके भाग को प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ;
- (ii) उपनियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से आरंभ होने वाली तथा इसके प्रचालनीय होने की तारीख को समाप्त होने वाली अविध के लिए ऐसे प्रतिदाय पर ब्याज संदेय नहीं होगा :
- (iii) जहां ऐसे व्यक्ति के मामले में अध्याय-17ख के अधीन कर कटौती योग्य है, ऐसा कर धारा 206कक के उपबंधों के अनुसार उच्चतर दर पर कटौती किया जाएगा ;
- (iv) जहां ऐसे व्यक्ति के मामले में अध्याय-17खख के अधीन कर स्रोत पर संग्रहणीय है, ऐसा कर धारा 206गग के उपबंधों के अनुसार उच्चतर दर पर संग्रहित किया जाएगा :
- (4) उपनियम (3) के उपबंध बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होंगे।
- (5) आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) उपनियम (1) और उपनियम (2) के अधीन स्थायी लेखा संख्यांक की प्रचालनीय प्रास्थिति के सत्यापन के लिए प्रक्रिया के साथ प्ररूप और मानक विनिर्दिष्ट करेंगे।"।

[अधिसूचना सं. 15/2023 फा. सं. 370142/14/2022–टीपीएल]

पी अमृता वर्षिणी, अवर सचिव

टिप्पण.- मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 118(अ), तारीख 21 फरवरी, 2023 द्वारा आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th March, 2023

### INCOME-TAX

**G.S.R.227(E).**—In exercise of the powers conferred by section 139AA read with section 295 of the Incometax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely: —

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Income-tax (Fourth Amendment) Rules, 2023.
  - (2) They shall come into force from the 1st day of April, 2023.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, for rule 114AAA, the following rule shall be substituted, namely:
  - "114AAA. Manner of making permanent account number inoperative.— (1) Where a person, who has been allotted the permanent account number as on the 1<sup>st</sup> day of July, 2017 and is required to intimate his Aadhaar number under sub-section (2) of section 139AA, has failed to intimate the same on or before the 31<sup>st</sup> day of March, 2022, the permanent account number of such person shall become inoperative, and he shall be liable for payment of fee in accordance with sub-rule (5A) of rule 114.
  - (2) Where the person referred to in sub-rule (1) has intimated his Aadhaar number under sub-section (2) of section 139AA after the 31<sup>st</sup> day of March, 2022, after payment of fee in accordance with sub-rule (5A) of rule 114, his

permanent account number shall become operative within thirty days from the date of intimation of Aadhaar number.

- (3) A person, whose permanent account number has become inoperative, shall be liable for further consequences for the period commencing from the date as specified under sub-rule (4) till the date it becomes operative, namely:—
- (i) refund of any amount of tax or part thereof, due under the provisions of the Act shall not be made;
- (ii) interest shall not be payable on such refund for the period, beginning with the date specified under sub-rule (4) and ending with the date on which it becomes operative;
- (iii) where tax is deductible under Chapter XVIIB in case of such person, such tax shall be deducted at higher rate, in accordance with provisions of section 206AA;
- (iv) where tax is collectible at source under Chapter XVII-BB in case of such person, such tax shall be collected at higher rate, in accordance with provisions of section 206CC:
- (4) The provisions of sub-rule (3) shall have effect from the date specified by the Board.
- (5) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems) shall specify the formats and standards along with the procedure for verifying the operational status of permanent account number under sub-rule (1) and sub-rule (2).".

[Notification No. 15/2023 F. No.370142/14/2022-TPL]

P. AMRUTHA VARSHINI, Under Secy.

**Note.**-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E), dated the 26<sup>th</sup> March, 1962 and last amended by the Income-tax (Third Amendment) Rules, 2023, *vide* notification number G.S.R. 118(E) dated 21<sup>st</sup> February, 2023.